न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 99/2018

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. मनीषकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. मोहरसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. रोहताश पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र मालुराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. लालचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. रजोदेवी पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. सरस्वती पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. कमला पुत्र भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. गीता पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
8. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
9. आरएमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादीगण**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 8**

दिनांक : 30.7.18

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 46/45 के मु0नं0 38 किला नं0 20, मु0नं0 39 किला नं0 24/2, 25, मु0नं0 47 के किला नं0 2 ता 19, मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 6.932 है0 मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी भादरराम के नाम से दर्ज है जो कि पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें से कुछ भूमि जो मु0नं0 38 के किला नं0 20, मु0नं0 39 के किला नं0 24/2 व 25 तथा मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 2.378 है0 भूमि पुरानी भूमि की आय आमदनी से प्रतिवादी भादरराम ने खरीद कर ली थी। इस प्रकार उक्त कुल वादभूमि पुरानी पुश्तैनी व संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की हुई भूमि होने के चलते उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें प्रतिवादी भादरराम के हिस्सा में 2.378 है0 भूमि हिससा में आ गई जो प्रतिवादी भादरराम के द्वारा खरीद की हुई थी एंव शेष 4.554 है0 भूमि वादीगण

एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी प्रतिवादी भादरराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 भजनलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 डीपीएन खाता सं0 46/45 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम 8 दीपलाना प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये एवं फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 8 दीपलाना की पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि पुरानी पुश्तैनी व संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 8 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 8 दीपलाना की पेश की है उसमें वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार मु0नं0 47 के किला नं0 2 ता 19 वादी के दादा मालू वल्द बीजा के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एंव इसी कृषि भूमि बाबत पक्षकारान का आपसी सहमति से राजीनामा हुआ है जिसके अनुसार दादालाई कृषि भूमि की वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम घोषणा की जाकर शेष भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रखी जाने पर पक्षकार सहमत हुऐ है एवं लालचन्द पुत्र भादरराम, भादरराम पुत्र मालूराम व महावीर पुत्र भादरराम के वारिस प्रमाण पत्र पेश किये है जिसमें उनके वारिसान को दर्शाया गया है एवं उक्त वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भरवाना द्वारा जारी किये गये। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 46/45 के मु0नं0 38 किला नं0 20, मु0नं0 39 किला नं0 24/2, 25, मु0नं0 47 के किला नं0 2 ता 19, मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 6.932 है0 मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी भादरराम के नाम से दर्ज है जो कि पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें से कुछ भूमि जो मु0नं0 38 के किला नं0 20, मु0नं0 39 के किला नं0 24/2 व 25 तथा मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 2.378 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज चक 8 डीपीएन के खाता सं0 47 के किला नं0 2 ता 19 की 4.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 8 ने वाद

कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदराम की जावे। खाता सं0 46/45 के मु0नं0 38 के किला नं0 20, मु0नं0 39 के किला नं0 24/2 व 25 तथा मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 2.378 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 99/2018

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. मनीषकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. मोहरसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. रोहताश पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र मालुराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. लालचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. रजोदेवी पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. सरस्वती पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. कमला पुत्र भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. गीता पुत्री भादर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
8. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
9. आरएमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 46/45 के मु0नं0 38 किला नं0 20, मु0नं0 39 किला नं0 24/2, 25, मु0नं0 47 के किला नं0 2 ता 19, मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 6.932 है0 मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी भादरराम के नाम से दर्ज है जो कि पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें से कुछ भूमि जो मु0नं0 38 के किला नं0 20, मु0नं0 39 के किला नं0 24/2 व 25 तथा मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 2.378 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज चक 8 डीपीएन के खाता सं0 47 के किला नं0 2 ता 19 की 4.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 8 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदराम की जावे। खाता सं0 46/45 के मु0नं0 38 के किला नं0 20, मु0नं0 39 कें किला नं0 24/2 व 25 तथा मु0नं0 50 के किला नं0 1/1, 2 ता 9, 10/1 कुल 2.378 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़